रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, शनिवार, मई 27, 2000/ज्येष्ठ 6, 1922
No. 361] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 2000/JYAISTHA 6, 1922

गृह मंत्रालय

(एन. ई. डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2000

का. आ. 522 (अ).—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पीठासीन
न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री आर० एच० ज़ैदी
की अध्यक्षता में गठित
विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

मणिपुर के मैतेयी उग्रवादी संगठनों, अर्थात्:--

(1) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी0एल0ए0) और उसका राजनीतिक खण्ड दी रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट (आर0पी0एफ0);

(2) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ मणिपुर (यू0एन0एल0एफ0);

(3) पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0) और उसका सशस्त्र खण्ड दी 'रेड आर्मी';

(4) कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और उसका सशस्त्र खण्ड जिसको भी 'रेड आर्मी' कहा जाता है;

(5) कांगली याओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0);

(6) मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रन्ट (एम0पी0एल0एफ0), और उनके सभी कार्यात्मक खण्डों एवं अग्रणी संगठनों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगम घोषित करने के मामले में ।

आदेश

भारत के राजपत्र (असाधारण) में 13 नवम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की एक अधिसूचना के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967

(67 का 37) (इसे इसमें इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, जिन्हें विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 1968 कहा गया है, (इसे इसमें इसके बाद संक्षेप में 'नियम' कहा गया है) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर के उल्लिखित उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया था । उक्त अधिसूचना का पाठ निम्नानुसार है:-

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1999

का0आ0 1089(अ). --- साधारणतया पी0एल0ए0 के रूप में ज्ञात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक खण्ड दी रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट (आर0पी0एफ0), दी यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट (यू0एन0एल0एफ0), दी पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0) और उसके सशस्त्र खण्ड "रेड आर्मी" कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और इसके सशस्त्र विंग जिसको भी "रेड आर्मी" कहा जाता है, कांगली याओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0) तथा मणिपुर पीपुल्स लिब्रेशन फ्रन्ट (एम0पी0एल0एफ0) (जिसे इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से मैती उग्रवादी संगठन कहा गया है) ने:-

(i) मणिपुर राज्य को भारत से अलग कर स्वतंत्र मणिपुर के गठन का अपना उद्देश्य खुले तौर पर घोषित कर दिया है,

(ii) अपने उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधन रखे हैं और उनका उपयोग करता है,

(iii) मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर आक्रमण करते रहे हैं,

(iv) अपने संगठन के लिए धन संग्रहण हेतु असैनिक आबादी को अभित्रास, उद्यापन और टूटने की गतिविधियों में लिप्त है, और

(v) लोकमत को प्रभावित करने और अपने अलगाववादी उद्देश्य की अभिप्राप्ति के प्रयोजनार्थ शस्त्र और प्रशिक्षण की सहायता प्राप्त करने हेतु विदेशी स्त्रोतों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं ।

2. और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से मैती उग्रवादी संगठन और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकाए जिनमें ऊपर नामित सशस्त्र समूह भी है, विधि विरुद्ध संगम हैं ।

3. अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैती उग्रवादी संगठनों अर्थात् दी पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी, जो सामान्यतः पी0एल0ए0 के नाम से जानी जाती है और उसके राजनीतिक खण्ड दी रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट (आर0पी0एफ0), दी यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट (यू0एन0एल0एफ0), पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0) और इसका सशस्त्र विंग "रेड आर्मी" कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और उसके सशस्त्र खण्ड जिसको भी "रेड आर्मी" कहा जाता है, कांगलीयाओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0) तथा मणिपुर पीपुल्स लिब्रेशन फ्रन्ट (एम0पी0एल0एफ0) को और उनसी संगम घोषित करती है ।

4. और:

(i) सुरक्षा बलों और असैनिक आबादी पर (सशस्त्र समूहों और मैती उग्रवादी संगठनों के सदस्यों) द्वारा आक्रमण और हिंसा के मामले बार-बार हुए हैं तथा हो रहे हैं,

(ii) मैती उग्रवादी संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई है,

(iii) निरन्तर धन संग्रहण, उद्यापन और परिष्कृत हथियार अर्जित किए जा रहे हैं,

(iv) शरण लेने, प्रशिक्षण लेने तथा हथियार और गोलाबारूद छिपाकर प्राप्त करने के लिए कुछ पड़ौसी देशों में कैम्प बनाए हुए हैं ।

5. केन्द्रीय सरकार की राय है कि मैती उग्रवादी संगठन के पूर्वोक्त क्रियाकलाप, भारत की प्रभुता एवं अखण्डता के लिए हानिकर हैं और यदि उन पर तुरन्त रोक न लगाई जाए और उन्हें नियंत्रित न किया जाए तो उक्त मैती उग्रवादी संगठन पुनः समूहबद्ध होंगे, अपने को हथियारों से सुसज्जित करेंगे, अपने काडरों का विस्तार करेंगे, परिष्कृत हथियार प्राप्त करेंगे, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों एवं सिविलियनों की हत्या करेंगे और भारत से मणिपुर को अलग करने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने क्रियाकलाप की गति तीव्र करेंगे ।

6. अतः, अब, उपर्युक्त पैरा 4 और पैरा 5 में निर्दिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह आवश्यक है कि मैती उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी, जो सामान्यत पी0एल0ए0 के नाम से जानी जाती है और इसके राजनैतिक खण्ड दी रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट (आर0पी0एफ0) दी यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट (यू0एन0एल0एफ0), पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (प्रीपाक), तथा इसका सशस्त्र विंग "रेड आर्मी" कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और उनके सशस्त्र खण्ड जिसे भी "रेड आर्मी" कहा जाता है, कांगली याओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0) तथा मणिपुर पीपुल्स लिब्रेशन फ्रन्ट (एम0पी0एल0एफ0) को तत्कालिक प्रभाव से विधि विरुद्ध संगम घोषित किया जाए और तदनुसार उक्त धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जाने वाले किसी आदेश के अध्यधीन, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

(फा0सं0 8/16/99-एन0ई0-I)
ह0/- जी0के0 पिल्लै,
संयुक्त सचिव"

सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के अलावा उपरोक्त अधिसूचना को विनियमों के नियम 4 के साथ पठित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में निर्धारित समयावधि में प्रकाशित भी कराया गया था ।

तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने 8 दिसम्बर, 1999 को एक अधिसूचना जारी करके अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह न्याय-निर्णय करने के लिए एक अधिकरण का गठन 8 दिसम्बर किया था कि क्या मणिपुर के मैतेयी उग्रवादी संगठनों को, अधिनियम में प्रयुक्त शब्द के अर्थ में, विधि विरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं । उक्त अधिसूचना का पाठ निम्नानुसार है:-

"गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1999

का0आ0 1222(अ). -- विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए क्या मणिपुर के मैतयी उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री आर0एच0 जैदी की अध्यक्षता में एक "विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है ।

(फा0 सं0 8/16/99-एन0ई0-I)
ह0/- जी0के0 पिल्लै,
संयुक्त सचिव"

इस अधिकरण के गठन के उपरान्त केन्द्र सरकार ने विनियमों के नियम 5 के अधीन यथा उपबंधित जानकारी उसको दे दी थी । आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर दिनांक 15.1.2000 को यू0पी0 सदन, नई दिल्ली में इस अधिकरण की एक बैठक हुई थी जिसमें रिकार्ड देखने और उपस्थित व्यक्तियों को सुनने के बाद निम्नलिखित आदेश दिया गया था :--

"श्री जी0के0 पिल्लै, संयुक्त सचिव, पूर्वोत्तर प्रभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को सुना और रिकार्ड का अवलोकन भी किया ।

रिकार्ड में दर्ज सामग्री से स्पष्ट है कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, जिसे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है, की धारा 3 के तहत जारी की गई अधिसूचना को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विनियम, 1968, जिसे संक्षेप में 'नियम' कहा गया है, के नियम 4 के साथ पठित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसरण में प्रकाशित और वितरित किया गया था ।

निम्नलिखित को:-

(1) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी0एल0ए0) और इसकी राजनीतिक विंग, दी रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर0पी0एफ0);
(2) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर (यू0एन0एल0एफ0);
(3) पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0) और इसकी सशस्त्र विंग दी 'रेड आर्मी';
(4) कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और इसकी सशस्त्र विंग दी 'रेड आर्मी';
(5) कांगली याओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0); और
(6) मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम0पी0एल0एफ0)।

नोटिस जारी करके (पंजीकृत डाक से) पूछा जाए कि वे उक्त नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर व्यक्तिगत तौर पर या अधिवक्ता के माध्यम से कारण बताएं कि क्यों न उन्हें विधि विरुद्ध घोषित कर दिया जाए। उपरोक्त संगठनों को नियम के नियम 6 के अधीन निर्धारित विधि से नोटिस जारी किए जाएंगे।

ऊपर विनिर्दिष्ट तरीके से नोटिस जारी किए जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा तीन सप्ताह के भीतर सेवा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और उसके साथ सेवा संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य भी संलग्न किए जाएंगे।

मामले की अगली सुनवाई 12.3.2000 को सुबह 10.30बजे चाणक्यपुरी, नई दिल्ली स्थित यू0पी0 संदन के सम्मेलन कक्ष में होनी तय की गई।

दिनांक 15 जनवरी, 2000

ह0/-
(आर0एच0 जैदी)
15.1.2000

उसी दिन प्रश्नाधीन संगमों/संगठनों के बारे में उपरोक्त अधिसूचना का जारी किया जाना पर्याप्त माने जाने के साथ ही निम्नलिखित आदेश दिया गया था :-

"भारत सरकार की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव, उप सचिव, भारत सरकार द्वारा दिए गए शपथ पत्र को रिकार्ड में ले लिया जाए।

श्री गोपाल के पिल्लै, संयुक्त सचिव, एन0ई0, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की सुनवाई की गई तथा श्री अजय श्रीवास्तव, उप सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकार्ड एवं

शपथ पत्र पर कार्रवाई की गई । इस शपथ-पत्र में यह बताया गया है कि 13.11.99 को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना की सूचना 19.12.99 को एक स्थानीय समाचार पत्र 'थोडैंग' में प्रकाशित करके प्रश्नगत संगमों/ संगठनों को दी गई, आकाशवाणी के स्थानीय केन्द्र से रेडियो पर घोषणा की गई, तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के नियम 4 के साथ पठित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार इसे मणिपुर राज्य में सभी जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर चिपकाया गया । इस प्रकार प्रश्नगत संगठनों/संगमों को दी गई उक्त अधिसूचना की सूचना को पर्याप्त माना जाता है ।"

15.1.2000 को यह भी निर्देश दिया गया कि इन नोटिसों की सूचना दिए जाने के बाद तीन सप्ताह की अवधि के अंदर अर्थात् 11.2.2000 तक भारत संघ की ओर से सूचना के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाए जिसके साथ सूचना के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाए । तत्पश्चात् इस मामले पर 12.3.2000 को पूर्वाहन 10.30 बजे यू0पी0 सदन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में विचार किए जाने का निर्देश दिया गया । 11.2.2000 को उक्त आदेश के अनुपालन में भारत संघ की ओर से सूचना के संबंध में शपथ पत्र श्री अजय श्रीवास्तव, उप सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड में रखा गया। रिकार्ड में रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद 12.3.2000 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

12.3.2000 **माननीय न्यायमूर्ति आर0एच0 जैदी**

नई दिल्ली

मामले की सुनवाई की गई । मणिपुर के मैतई उग्रवादी संगठन की ओर से कोई भी प्रस्तुत नहीं हुआ तथापि भारत संघ तथा मणिपुर राज्य की ओर से विद्वान वकील मौजूद हैं ।

15.1.2000 को मैतई उग्रवादी संगठनों को नोटिस जारी किए गए तथा विपक्षी पक्षकारों को कारण बताने को कहा गया कि उन्हें विधि विरुद्ध क्यों नहीं घोषित किया जाए । भारत संघ तथा राज्य के विद्वान वकील को भी नोटिसों की सूचना के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना था । 11.2.2000 को सूचना के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।

श्री अजय श्रीवास्तव के शपथ पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि इस अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुपालन में विपक्षी पक्षकारों को नोटिस कानून के अनुसार दिए गए । अतः प्रश्नगत संगठन को नोटिस की सूचना को पर्याप्त माना जाता है ।

राज्य की ओर से मणिपुर राज्य के वकील श्री के0नोबिन सिंह द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र को रिकार्ड में रखा जाए । भारत संघ की ओर से प्रस्तुत किए गए श्री अजय श्रीवास्तव के शपथ पत्र को भी रिकार्ड में रखा जाए ।

भारत संघ के विद्वान वकील तथा श्री के0 नोबिन सिंह, अधिवक्ता दस्तावेजी साक्ष्य जिसके आधार पर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी, सहित शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगते हैं तथा इनको दो सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है । अगली निर्धारित तारीख को ये दस्तावेजों के साथ दिनांक 13.11.99 के अधिसूचना के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे ।

मणिपुर के मैतई उग्रवादी संगठन भी निर्धारित अगली तारीख को साक्ष्य (दस्तावेजी) प्रस्तुत करें ।

दो सप्ताह के बाद 27 मार्च, 2000 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति श्री आर0एच0 ज़ैदी के कक्ष में पूर्वाह्न 10.00 बजे सूची प्रस्तुत की गई ।

27.3.2000 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :-

"27 मार्च, 2000

माननीय न्यायमूर्ति आर0एच0 ज़ैदी

जब इस मामले पर कार्रवाई शुरू की गई तो भारत संघ तथा मणिपुर राज्य के विद्वान वकील अपनी-अपनी सरकारों की ओर से प्रस्तुत हुए । श्री एस0 दिनोकुमार सिंह, विशेष सचिव (गृह), मणिपुर सरकार, श्री एम0 करणजीत, पुलिस अधीक्षक, सी0आई0डी0 (एस0बी0) तथा श्री एच0 इबोमशाह मैतई, एस0आई0, सी0आई0डी0 (एस0बी0) भी व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत हुए । उचित नोटिस के बावजूद प्रतिवादी के रूप में मैतई उग्रवादी संगठन की ओर से कोई प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ ।

मणिपुर सरकार में विशेष सचिव (गृह) एस0 दिनोकुमार सिंह का शपथ पत्र रिकार्ड में दर्ज किया जाता है ।

रिकार्ड की सामग्री से आगे की कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टतया मामला बनता है । शपथ पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज जो कि रिकार्ड का एक भाग है, को, ऐसे व्यक्तियों/शिकायतों से प्रमाणित

कराना जरूरी है जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है और जिनके पास से दस्तावेज बरामद हुए हैं।

मामले को सूचीबद्ध किया जाए । सुनवाई के लिए 29 तथा 30 अप्रैल, 2000 को प्रातः 10.00 बजे राज्य अतिथि गृह, इम्फाल में प्रस्तुत किया जाए ।

सभी संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिन पहले विधि के अनुरूप उक्त तिथि का नोटिस जारी किया जाए । केन्द्रीय/राज्य सरकारें इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करें तथा उपरोक्त स्थान पर न्यायालय लगाने की व्यवस्था करें ।

न्यायालय को राज्य अतिथि गृह, इम्फाल में लगाने का निर्णय इसलिए किया गया था ताकि मणिपुर से स्थान की दूरी के आधार पर सुनवाई के अवसर की पर्याप्तता के संबंध में कोई तकनीकी आपत्ति न हो । निर्धारित तिथि अर्थात् 29 तथा 30 अप्रैल को हुई अदालती कार्रवाई में मुख्यतः केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारी तथा उनके विद्वान वकील उपस्थित हुए । उक्त कार्रवाई में केन्द्र सरकार के विद्वान वकील द्वारा किए गए आवेदन पर 18 गवाहों से पूछताछ की जाने की अनुमति दी गई । उल्लेखनीय है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्रों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की भी अनुमति दी गई जिसे दर्ज कर लिया गया है । साक्ष्य के निष्कर्ष के बाद केन्द्र तथा राज्य सरकारों की ओर से पेश होने वाले वकील के तर्कों को सुना गया तथा निर्णय/आदेश सुरक्षित रख लिया गया । भारत संघ के विद्वान वकील को 7 मई, 2000 से पूर्व लिखित तर्क, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने की अनुमति भी दी गई थी ।

केन्द्र सरकार के विद्वान वकील द्वारा यह कहा गया कि रिकार्ड में जो मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं जिन्हें अस्वीकार नहीं किया गया है और जिनका खंडन भी नहीं किया गया है क्योंकि अधिकरण द्वारा जारी नोटिस के उचित रूप से तामील किए जाने के बावजूद मैतई उग्रवादी संगठनों की ओर से अधिकरण के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था, उनसे निर्णायक रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि उल्लिखित मैतई उग्रवादी संगठन, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द के अर्थ के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगम हैं । इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 13 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना की पुष्टि की जाए ।

मैंने केन्द्र सरकार के विद्वान वकील के अनुरोध पर विचार किया है और रिकार्ड में दर्ज समस्त सामग्री का पूरी तरह अवलोकन किया है ।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजात के साथ एक सार भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन तथ्यों और कारणों के बारे में बताया गया है जिनके आधार पर दिनांक 13 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना को जारी करना न्यायोचित ठहराया गया । उक्त सार में यह उल्लेख है कि इससे पूर्व भी इसी प्रकार की अधिसूचना, केन्द्र सरकार द्वारा 26 अक्तूबर, 1979 को इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई थी जिसमें 4 मैतई उग्रवादी संगठनों अर्थात पी0एल0ए0, यू0एन0एल0एफ0, पी0आर0ई0पी0ए0के0

और के0सी0पी0 को विधि विरुद्ध संगम घोषित किया गया, जो मणिपुर को स्वतंत्र कराने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, अधिकतर मणिपुर के घाटी वाले इलाकों में हत्याओं सहित हिंसा, लूटने, डराने आदि के विधि विरुद्ध कार्य कर रहे थे । इसके पश्चात् 26 अक्तूबर, 1995 को पुनः अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा उक्त 4 उग्रवादी संगठनों के अतिरिक्त के0वाई0के0एल0 को भी विधि विरुद्ध संगम घोषित किया गया । सांविधिक अवधि समाप्त हो जाने पर दिनांक 26 अक्तूबर, 1995 की अधिसूचना स्वतः व्यपगत हो गई । चूंकि मणिपुर राज्य में जन-जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ तथा हिंसा के विधि विरुद्ध कार्य और विधि विरुद्ध गतिविधियां तेजी से जारी रहीं इसलिए केन्द्र सरकार को इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत एक और अधिसूचना दिनांक 13 नवम्बर, 1997 को जारी करनी पड़ी, जिसकी वैधता की पुष्टि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण द्वारा अपने दिनांक 6 मई, 1998 के निर्णय और आदेश में की गई । उक्त अधिसूचना के बावजूद उल्लेखनीय है कि उक्त संगठन ने गैर कानूनी तौर पर कर इकट्ठा करने, जबरन धन वसूली करने और फिरौती के लिए अपहरण करके बहुत अधिक धन संग्रह करने का कार्य जारी रखा । मैतई उग्रवादी संगठनों ने शस्त्रों की अधिप्राप्ति करना भी जारी रखा । इसके अतिरिक्त मैतई उग्रवादी संगठनों ने -

(i) मणिपुर राज्य को भारत से अलग कर स्वतंत्र मणिपुर के गठन का अपना उद्देश्य खुले तौर पर घोषित कर दिया है,

(ii) अपने उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधन रखे हैं और उनका उपयोग करता है,

(iii) मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर आक्रमण करते रहे हैं,

(iv) अपने संगठन के लिए धन संग्रहण हेतु असैनिक आबादी को अभित्रास, उद्यापन और लूटने की गतिविधियों में लिप्त है, और

(v) लोकमत को प्रभावित करने और अपने अलगाववादी उद्देश्य की अभिप्राप्ति के प्रयोजनार्थ शस्त्र और प्रशिक्षण की सहायता प्राप्त करने हेतु विदेशी स्त्रोतों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं ।

उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के कारण, ऊपर बताए गए मैतई उग्रवादी संगठनों को इस अधिनियम के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगम घोषित करने के लिए नई अधिसूचना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। उक्त सार में, अधिसूचना के, उसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी करने के कारण भी बताए गए थे । केन्द्र सरकार ने, प्रस्तावों और उनके कारणों पर विचार करने के बाद, प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और दिनांक 13 नवम्बर, 1999 की विचाराधीन अधिसूचना जारी कर दी ।

यह अधिसूचना, जिसकी वैधता की इस अधिकरण द्वारा संपुष्टि की जानी है, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत जारी की गई है, जो निम्नानुसार है:--

"3. किसी संगम के विधि विरुद्ध होने की घोषणा - (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि कोई संगम विधिविरुद्ध संगम है, या हो गया है तो वह ऐसे संगम को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विधिविरुद्ध घोषित कर सकेगी ।

"संगम" और "विधि विरुद्ध संगम" को अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) और (छ) के तहत निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :--

"2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) "संगम" से व्यष्टियों की कोई संहति या निकाय अभिप्रेत है;

(छ) "विधिविरुद्ध संगम" से कोई ऐसा संगम अभिप्रेत है --

(i) जिसका उद्देश्य कोई विधिविरुद्ध क्रिया है या जो कोई विधिविरुद्ध क्रिया करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है या उसकी सहायता करता है अथवा जिसके सदस्य ऐसी क्रिया करते हैं; अथवा

(ii) जिसका उद्देश्य भारतीय दंड संहिता की धारा 153क या धारा 153ख के अधीन दण्डनीय कोई कार्य है या जो कोई ऐसा कार्य करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है या उनकी सहायता करता है अथवा जिसके सदस्य कोई ऐसा कार्य करते हैं:

परन्तु उपखण्ड (ii) की कोई बात जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होगी ।

"विधि विरुद्ध क्रिया" को अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के तहत निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

"2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(च) "विधिविरुद्ध क्रिया" से किसी व्यष्टि या संगम के संबंध में, ऐसे व्यष्टि या संगम द्वारा (चाहे कोई कार्य करके, या बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा) की गई कोई ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है, --

(i) जो किसी भी आधार पर, चाहे वह कुछ भी हो, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संघ से विलग हो जाना घटित करने के लिए आशयित है,

या उसके लिए किसी दावे का समर्थन करती है, या जो ऐसा अध्यर्पण या विलग हो जाना घटित करने के लिए किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह को उद्दीप्त करती है;

(ii) जिससे भारत की प्रभुत्ता और प्रादेशिक अखण्डता का अन्-अंगीकरण होता है या उन पर आक्षेप होता है या जो उन्हें विच्छिन्न करती है या विच्छिन्न करने के लिए आशयित है;

"भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण" और "भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संघ से विलग हो जाना" अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) और (घ) के तहत निम्नानुसार परिभाषित किए गए हैं:-

"2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(ख) "भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण" के अंतर्गत ऐसे किसी भाग पर किसी विदेश के दावे का स्वीकार किया जाना आता है;

(घ) "भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग का संघ से विलग हो जाना" के अन्तर्गत यह अवधारित करने के किसी दावे का प्राख्यान आता है कि ऐसा भाग भारत के राज्यक्षेत्र का भाग रहे या न रहे ।

इस प्रकार अभिलेख की गई सामग्री की मुझे जांच करनी है और इस प्रश्न का उत्तर देना है कि क्या उक्त संगम, अधिनियम और इसके तहत तैयार किए गए नियमों में प्रयुक्त अर्थ के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगम हैं या नहीं ।

उक्त तथ्यों को सिद्ध करने और दिनांक 13 नवम्बर, 1999 को जारी अधिसूचना को न्यायोचित ठहराने के लिए निम्नलिखित गवाहों को शपथ दिलाकर पूछताछ की गई और उसके पश्चात शपथ पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज दर्ज किए गए । उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त हुए अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं जिन्हें प्रदर्श 1 से 19 तक चिन्हित किया गया है ।

गवाहों की सूची

1. श्री कर्णजीत सिंह, सुपुत्र स्व0 एम0 देबा सिंह, एस0पी0, सी0आई0डी0 (विशेष शाखा, मणिपुर) ।
2. उप निरीक्षक, वाई0 मेलाबाबू सिंह सुपुत्र स्व0 वाई0 पम्पांकछाओ सिंह, निवासी खुराई चिंगंगबम लामसंग पुलिस थाने में अन्वेषण अधिकारी के रूप में तैनात ।
3. निरीक्षक मो0 हुस्नेजमान सुपुत्र स्व0 हाजी अब्दुल जबार, निवासी मोइजिंग ग्राम, वर्तमान में लमलाई पुलिस थाने में कार्य प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात ।

4. निरीक्षक एल0 ईश्वर लाल शर्मा, सुपुत्र एल0 हरि मोहन शर्मा, वर्तमान में बिशनपुर पुलिस थाने में कार्य प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात ।

5. श्री एन0 इबोहाल सिंह सुपुत्र स्व0 एन0 रोमोनी सिंह, उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी, मोइरंग, बिशनपुर जिले के तहत ।

6. उप निरीक्षक एस0 मोनिन्द्रो सिंह पुत्र एस0 इबोछाओबा सिंह, वर्तमान में इम्फाल पश्चिमी जिले के तहत पटसोई पुलिस थाने में सूचना अधिकारी के रूप में तैनात ।

7. निरीक्षक एल0 वीरबाबू सिंह सुपुत्र एल0 याइमा टॉम्बी सिंह, वर्तमान में बिशनपुर जिले के मोइरंग पुलिस थाने के कार्य प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात ।

8. निरीक्षक टी0एच0 राम गोपाल सिंह सुपुत्र, टी0एच0 याइमा सिंह, वर्तमान में इम्फाल पश्चिमी जिले के तहत लामफैल पुलिस थाने के कार्य प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात ।

9. निरीक्षक आई0 दिजेन सिंह सुपुत्र स्व0 आई0 छाओबा सिंह, निवासी नरंकोनजिन, इम्फाल पश्चिमी जिला ।

10. उप निरीक्षक मो0 बानी अमीन सुपुत्र स्व0 मो0 सहरेबुद्दीन, वर्तमान में इम्फाल पूर्वी जिले के तहत हिनगंग पुलिस थाने के सूचना अधिकारी के रूप में तैनात ।

11. उप निरीक्षक एच0 रामेश्वर शर्मा सुपुत्र एच0 निमाई चंद शर्मा, वर्तमान में चंदेल जिले के चंदेल पुलिस थाने के कार्य प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात ।

12. उप निरीक्षक डब्ल्यू0 आनंद कुमार सिंह सुपुत्र स्व0 इबोछाऊबा सिंह, वर्तमान में इम्फाल पश्चिमी जिले के तहत इम्फाल पुलिस थाने में सूचना अधिकारी के रूप में तैनात ।

13. श्री एल0 इबोपिशाक सिंह, सुपुत्र एच0एल0 चन्द्र सिंह वर्तमान में इम्फाल पश्चिमी जिले के तहत, इम्फाल में उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात ।

14. टी0एच0 कृष्णा थोम्बी सिंह सुपुत्र टी0एच0 बीरबी सिंह, वर्तमान में इम्फाल पश्चिमी जिले की कमान्डो यूनिट में उप निरीक्षक के पद पर तैनात ।

15. यमनाम इबोथाम्बी सिंह सुपुत्र वाई0 याइमा सिंह, ग्राम क्वाकेइथेल हिनाऊखोंगनेम्बी पुलिस थाना सिंगजमेई, जिला पश्चिमी इम्फाल मणिपुर ।

16. इरेंगबम इबोयाइमा सिंह (53 वर्ष) सुपुत्र (एल0) आई0 गुनामानी सिंह, निवासी नामबोल फोईजिंग, नामबोल पुलिस थाना, जिला बिशनपुर, मणिपुर ।

17. श्री एस0 दीनो कुमार सिंह, विशेष सचिव, गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार, इम्फाल, तथा

18. श्री रामफल, उप सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर प्रभाग, नई दिल्ली ।

शपथ पत्र और उनके दस्तावेजों के साथ संलग्न

क. श्री एस0 दीनोकुमार सिंह, विशेष सचिव (गृह) मणिपुर का शपथ-पत्र ।

संलग्न दस्तावेज इस प्रकार है :-

अनुलग्नक-क:

दिनांक 13.11.97 से 18.2.2000 की अवधि के लिए छह मैतई उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 मामलों की सूची जिसके साथ छह मैतई उग्रवादी संगठनों से संबद्ध कुछ मामलों का सार, निम्नलिखित चार्ट के साथ दिया गया है :-

प्रत्येक संगठन के विरुद्ध दर्ज किए गए एफ0आई0आर0 मामलों की संख्या

13.11.1997 से 18.2.2000 तक की अवधि के दौरान

क्र0सं0	संगठन का नाम	1997	1998	1999	2000	जोड़
1	पी0एल0ए0/आर0पी0एफ0	39	218	225	18	500
2	यू0एन0एल0एफ0	12	116	146	8	282
3.	पी0आर0ई0पी0ए0के0	4	63	63	4	134
4.	के0वाई0के0एल0	7	35	63	2	107
5.	के0सी0पी0	11	72	64	9	156
6	एम0पी0एल0एफ0	X	X	1	X	1
	कुल जोड़	73	504	562	41	1180

अनुलग्नक - ख

नकदी की रसीदों, भारत के स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करने वाली प्रैस विज्ञप्तियों, आर0पी0एफ0/पी0एल0ए0 द्वारा जारी नॉन इमीग्रैन्ट रेजिडेंशियल परमिट, यू0एन0एल0एफ0 की नियंत्रण समिति का वार्षिक विवरण तथा के0आर0सी0 द्वारा जारी मांग पत्र ।

अनुलग्नक - ग

छह मैतई उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों को दर्शाने वाली समाचार पत्रों की कतरनें ।

ख. श्री अजय श्रीवास्तव पुत्र श्री एन0 लाल0 निवासी ए-84, पंडारा रोड़, नई दिल्ली का शपथ पत्र ।

संलग्न दस्तावेज इस प्रकार हैं :-

क.	यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक तथा कांगली याओल कनबा लुप के कार्यकलाप दर्शाने वाला विवरण ।	10-17
ख.	मैतई उग्रवादी संगठनों की 1999 के दौरान कुछ पूरक हिंसक गतिविधियों की सूची ।	18-24
ग.	1999 के दौरान मैतई उग्रवादी संगठनों से बरामद अवैध हथियार और गोला बारूद, विस्फोटक, आर0डी0एक्स0 इत्यादि संबंधी सूची ।	25-34
घ.	यू0एन0एल0एफ0 द्वारा जारी किया गया ब्यौरा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसके उद्देश्यों का उल्लेख है ।	35-42
ङ	आर0पी0एफ0 द्वारा जारी किए गए ब्यौरे जिसमें इसकी प्रभुसत्ता संबंधी मांग का ब्यौरा दिया गया है ।	43-70
च.	के0सी0पी0 द्वारा जारी किया गया धन ऐंठने संबंधी नोटिस जिसमें इसके ध्येय और उद्देश्यों का ब्यौरा दिया गया है ।	71
छ.	पी0आर0ई0पी0ए0के0 द्वारा जारी धन ऐंठने संबंधी नोटिस जिसमें इसके ध्येय उद्देश्यों का ब्यौरा दिया गया है ।	72
ज.	के0वाई0के0एल0 द्वारा जारी धन ऐंठने संबंधी नोटिस जिसमें इसके ध्येय और उद्देश्यों का ब्यौरा दिया गया है ।	73-75
झ.	पी0आर0ई0पी0ए0के0 और यू0एन0एल0एफ0 समेत कुछ पूर्वोत्तर उग्रवादी संगठनों द्वारा जारी संयुक्त ब्यौरा जिसके साथ उसका अंग्रेजी रूपान्तर दिया गया है जिसमें देश से पृथकतावाद का समर्थन किया गया है ।	76-84
ञ.	मैतई उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध दायर कुछ मामलों के ब्यौरे जिसमें एफ0आई0आर0 की प्रतियां, जब्त की गई सामग्री की सूची इत्यादि शामिल है ।	85-448

ग. श्री एस0 दिनोकुमार सिंह, विशेष सचिव (गृह) मणिपुर सरकार, इम्फाल का शपथ पत्रः

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैः

अनुलग्नक - घः

छः मैतई उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों में चुनी हुई 36 एफ0आई0आर0 के संबंध में संबद्ध दस्तावेजों की प्रतियां ।

दर्ज किए गए और प्रदर्श के रूप में अंतिम किए गए अन्य दस्तावेजः

प्रदर्श सं0	दस्तावेजों के ब्यौरे
1.	वीरवार 3.2.2000 को "दी इम्फाल फ्री प्रेस" नामक समाचार पत्र में प्रकाशित ट्रिब्युनल के रजिस्ट्रार का दिनांक 17.1.2000 का नोटिस ।
2.	बुधवार दिनांक 2.2.2000 के "दी संगई एक्सप्रेस नामक समाचार पत्र में प्रकाशित ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार का दिनांक 17.1.2000 का नोटिस ।
3.	3.2.2000 को नोटिस के प्रसारण के बारे में श्री एस0 मांगी सिंह, सहायक समाचार संपादक, ए0आई0आर0, इम्फाल का दिनांक 4.2.2000 का पत्र ।
4.	नोटिस के प्रकाशन के बारे में दिनांक 4.2.2000 का डब्ल्यू0टी0 संदेश ।
5.	नोटिस के प्रकाशन के बारे में दिनांक 4.2.2000 का डब्ल्यू0टी0 संदेश ।
6.	मणिपुर के राजपत्र, असाधारण में वीरवार दिनांक 3.2.2000 को प्रकाशित ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार का दिनांक 17.1.2000 का नोटिस ।
7.	1.3.1999 का पी0आर0ई0पी0ए0के0, आर0पी0एफ0 तथा यू0एन0एल0एफ0 की संयुक्त उद्घोषणा ।
8.	रविवार 9.4.2000 के "यकैरोल" नामक समाचार पत्र में स्टेट गेस्ट हाउस, इम्फाल में ट्रिब्यूनल की बैठक के बारे में दिनांक 7.4.2000 के नोटिस का प्रकाशन ।
8क.	शनिवार 8.4.2000 के "दी इम्फाल फ्री प्रेस" नामक समाचार पत्र में स्टेट गेस्ट हाउस इम्फाल में ट्रिब्यूनल की बैठक के बारे में दिनांक 7.4.2000 के नोटिस का प्रकाशन ।
9.	भारतीय दंड संहिता की धारा 121/121क, 25(1-ख) शस्त्र अधिनियम, 13यू0ए0(पी) अधिनियम के अंतर्गत पुलिस स्टेशन बिशनपुर की एफ0आई0आर0 सं0 99(12)97 ।
10.	निदेशक, केन्द्रीय प्लास्टिक संस्थान (टेकईलपेट) को संबोधित पी0आर0ई0पी0ए0के0, वित्त विभाग का मांग पत्र ।

11. भारतीय दंड संहिता की धारा 121/121-क, 25(1-ख) शस्त्र अधिनियम और 13 यू0ए0(पी) अधिनियम के अंतर्गत पुलिस स्टेशन मोइरंग की एफ0आई0आर0 सं0 11(5)98 ।
12. श्री केशो सिंह, सब इंस्पेक्टर के हस्ताक्षर ।
13. भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख/302/364/397/326, 25(1-ख) शस्त्र अधिनियम और 13 यू0ए0 (पी) अधिनियम के अंतर्गत पुलिस स्टेशन लाम्लई की एफ0आई0आर0सं0 11(5)98 ।
14. यह दर्शाने वाला एक दस्तावेज कि के0 बिनोय के0सी0पी0 द्वारा मारा गया था ।
15. भारतीय दंड संहिता की धारा 121/121-क/307/302, 25(1-ख) शस्त्र अधिनियम और 13 यू0ए0(पी0) अधिनियम के अंतर्गत पुलिस स्टेशन चंदेल की एफ0आई0आर0 सं0 4(3)99 ।
16. श्री एस0 दिनोकुमार सिंह, विशेष सचिव (गृह) मणिपुर सरकार, इम्फाल का शपथ पत्र ।
17. श्री एस0 दिनोकर सिंह, विशेष सचिव (गृह), मणिपुर सरकार, इम्फाल का शपथ पत्र ।
18. श्री अजय श्रीवास्तव, पुत्र श्री एन0 लाल निवासी ए-84, पंडारा रोड़, नई दिल्ली का शपथ पत्र ।
19. श्री अजय श्रीवास्तव, पुत्र श्री एन0 लाल, निवासी ए-84, पंडारा रोड़, नई दिल्ली का शपथ पत्र ।

प्रदर्श सं0 1 से 8-क में दिए गए दस्तावेजों को सरकारी गवाह (पी0डब्ल्यू0) 1 श्री करनजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक, सी0आई0डी0 (विशेष शाखा), इम्फाल द्वारा; प्रदर्श 9 में पी0डब्ल्यू0 4 एल0 ईश्वर लाल शर्मा, इंस्पेक्टर द्वारा; प्रदर्श 11 और 12 में पी0डब्ल्यू0 5 एम0 इबोहल सिंह, सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी द्वारा प्रदर्श 13 और 14 में पी0डब्ल्यू0 9.I दिजेन्द्र सिंह , इंस्पेक्टर द्वारा, प्रदर्श 15 में पी0डब्ल्यू0 11 II.रामेश्वर शर्मा, सब इंस्पेक्टर द्वारा; प्रदर्श 16 और 17 में पी0डब्ल्यू0 17 श्री एस0 दिनो कुमार सिंह, विशेष सचिव (गृह), मणिपुर सरकार, इम्फाल और प्रदर्श 18 और 19 में पी0डब्ल्यू0 18 श्री रामफल, अवर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर प्रभाग, नई दिल्ली द्वारा सिद्ध किया गया था ।

विचाराधीन संगठनों/संस्थाओं की ओर से कोई भी अधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का न तो कोई खंडन किया गया और न ही उन्हें कोई चुनौती नहीं दी गई । अतः मै इस आदेश में गवाहों के बयान उद्धृत करना आवश्यक नहीं समझता हूं ।

मैंने गवाहों के बयानों की पूरी जांच की है और यह पाया है कि पी0डब्ल्यू0 1,2,5,7,9,11,15 और 16 ने बताया है कि इन संगठनों/संस्थाओं ने मणिपुर को भारत से पृथक करके मणिपुर को स्वतंत्र बनाने के अपने उद्देश्य की खुले रूप से घोषणा की है, पी0डब्ल्यू0 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15 और 16 ने आगे बताया है कि ये संगठन/संस्थाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधनों को तैनात करने में लगी हुई है, पी0डब्ल्यू0 1,2,3,5,7,8,9,11,12,15 और 16 ने आगे यह भी बताया है कि ये संगठन/संस्थाएं, मणिपुर के सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर आक्रमण कर रही हैं । पी0डब्ल्यू0 1,2,7,9,10,12,13,14,15,16,17 और 18 ने भी बताया है कि ये संगठन/संस्थाएं अपने संगठनों के लिए धन एकत्र करने हेतु नागरिकों को डराने धमकाने, धन ऐंठने और लूटपाट करने में लगी हुई हैं और पी0डब्ल्यू0 15 ने आगे बताया है कि ये संगठन/संस्थाएं अपने विघटनकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने के

प्रयोजन हेतु शस्त्र और प्रशिक्षण के जरिए उनकी सहायता प्राप्त करने और जनमत प्रभावित करने के लिए विदेश स्थित संसाधनों से संपर्क स्थापित करने के प्रयास कर रही है ।

पी0डब्ल्यू0 15 और पी0डब्ल्यू0 16 को छोड़कर उपर्युक्त सभी गवाह सरकारी अधिकारी हैं । पी0डब्ल्यू0 15 और पी0डब्ल्यू0 16 गैर सरकारी गवाह हैं जिन्होंने विचाराधीन उग्रवादी संगठनों/संस्थाओं के विरुद्ध मामले में पूर्ण रूप से समर्थन दिया है । इन संस्थाओं द्वारा प्रतिशोध किए जाने के भय से गैर सरकारी गवाह उनके विरुद्ध पेश होने के इच्छुक नहीं हैं । तथापि, उपरोक्त दोनों गवाह इन संगठनों/संस्थाओं के विरुद्ध इस मामले के समर्थन में अधिकरण के समक्ष पेश होने की हिम्मत जुटा सके । इन गवाहों द्वारा व्यक्ति रूप से ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने की दिखाई गई हिम्मत प्रशंसनीय थी ।

प्रदर्श 1 से 19 तक विशेष रूप से प्रदर्श 7 जो मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम0पी0एल0एफ0) की दिनांक 1 मार्च, 1999 संयुक्त उद्घोषणा है, में उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन संगठन इस अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दों के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगम हैं । दिनांक 1 मार्च, 1999 की संयुक्त उद्घोषणा निम्न प्रकार है :-

पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक
रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट
यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट

संयुक्त उद्घोषणा
01 मार्च, 1999

पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त वार्षिक अभियानों में दर्शाई गई एकता हेतु प्रयास के अनुसरण में, तीनों दलों के प्रतिनिधियों की 20 फरवरी से 1 मार्च, 1999 तक कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई । इस बैठक में मणिपुर तथा इस क्षेत्र के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के भूत, वर्तमान और भविष्य परिदृश्यों पर पुनर्विचार किया गया । अधिकांश समस्याएं, जिनको पहले तीनों दल नहीं समझ सके थे, पर खुले रूप से विचार-विमर्श किया गया और उन्हें एक साथ समझा गया । विशेष रूप से तीनों दलों ने क्रांतिकारी दलों के बीच एकता की कमी और लोगों के बीच संभ्रान्ति के कारण स्वतंत्रता संग्राम की धीमी गति के बारे में विचार-विमर्श किया । इस प्रकार, दस दिवसीय लंबे विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, तीनों भ्रातृ दलों ने एकता के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त किया है। तीनों दलों के अधोहस्ताक्षरित प्रतिनिधि के रूप में हमें यह उद्घोषणा करने का विशेषाधिकार है जिसमें तीनों दलों के बीच हुए करार के आधारभूत मुद्दों को उजागर किया गया है ।

1. तीनों दल मुख्य रूप से एक नई एकीकृत सत्ता में एक साथ विलय होने के लिए सहमत है । एक दल के रूप में एकीकरण धीरे-धीरे करके किया जाएगा ।
2. एकीकरण के लिए प्रथम उपाय के रूप में, एक स्थायी निकाय बनाया गया है जिसमें संबंधित दलों के प्रमुख घटकों में से दो-दो प्रतिनिधि होंगे जो तीनों दलों की एक समान नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार

करेंगे। स्थायी निकाय का नाम 'मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट' रखा गया है जिसका संक्षिप्त है - एम0पी0एल0एफ0 ।

3. एम0पी0एल0एफ0 के निर्णयों के निष्पादन हेतु एक कार्यकारी समिति बनाई गई है ।

4. अब से, तीनों दलों के वित्तीय मामलों से संबंधित सभी कार्य समेकित रूप से किए जायेंगे । समेकित वित्तीय नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक वित्तीय कार्य समिति बनाई गई है ।

इन नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एक वित्तीय उप समिति द्वारा किया जाएगा । संक्षेप में, अब से तीनों दल अलग-अलग निधियां नहीं जुटायेंगे । अब हम अपनी निधियां मिलकर जुटायेंगे और इसे स्वतंत्रता संघर्ष के लिए मिलकर प्रयोग में लायेंगे ।

अतः हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे तीनों दलों ने अब साथ मिलकर मणिपुर के क्रांतिकारी संगठनों के बीच एकता देखने की हमारे लोगों की चिरकालिक इच्छा को पूरा कर दिया है । वास्तव में हमारे लोगों की एकता की यह भावना ही है जिसने हमारे क्रांतिकारी दलों में प्रेरणा और दृढ़ विश्वास पैदा किया है ।

एकता बनाए रखने के साथ-साथ हम निधियां जुटाने के तरीके के रूप में अपने ही लोगों से फिरौती लिए जाने की समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे मुक्ति संघर्ष की छवि धूमिल न हो । हम अन्य संगठनों से भी अनुरोध करते हैं कि वे अब से निधियां जुटाने के इस तरीके का प्रयोग न करें । दूसरी ओर, हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि अब समय आ गया है कि हमारे लोग ऐसे गलत तरीकों को सुधारने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति से काम लें ।

प्रिय साथियो । अब हमें पूर्ण विश्वास है कि एकता होने के बाद हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष एकीकृत नेतृत्व में महत्वपूर्ण प्रगति करेगा । हमारे तीनों दलों ने दलबंदी और अपने भाईयों की हत्या की गलत विचारधारा को दूर करने का दृढ़ संकल्प किया है । यह एक निश्चय है और एक शपथ भी है जिसका हमारे तीनों दल एक साथ अंत तक पालन करेंगे ।

अतः हम मणिपुर के सभी लोगों से नई एकता के लिए अपना मूल्यवान समर्थन और शुभकामनाएं देने की अपील करते हैं ताकि हमारा राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष हमारे लोगों की शक्ति से आगे बढ़ता रहे ।

"एकता में बल है, एकता में उत्साह है ।"
"एम0पी0एल0एफ0 की विजय ।"
"हमारे लोगों की विजय ।"

पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक	रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट	यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट
ह0/- अस्पष्ट	ह0/- अस्पष्ट	ह0/- अस्पष्ट
अचौबा	इरेंगबाम चाओरेन	साना चाइमा
अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष

01 मार्च, 1999 को हस्ताक्षरित"

सरकारी गवाह-I से सरकारी गवाह 18 द्वारा शपथ पत्र पर दिए गए बयानों और शपथ पत्रों के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, पूरी तरह से यह सिद्ध होता है कि ऊपर बताए गए आतंकवादी संगठन विधि विरुद्ध संगम है क्योंकि उन्होंने खुले रूप से मणिपुर को भारत से अलग करके स्वतंत्र मणिपुर बनाने के अपने लक्ष्य की घोषणा की है । अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सशस्त्र तरीके अपना रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों तथा मणिपुर के कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर हमला कर रहे हैं । सिविल जनता से लूट-खसोट करके उन्हें डराकर अपने संगठनों के लिए निधियां इकट्ठी कर रहे हैं और जनता की राय को प्रभावित करने और अपने पृथकवादी लक्ष्य को पूरा करने के प्रयोजन से शस्त्र तथा प्रशिक्षण के रूप में सहायता लेने के लिए विदेशों में स्थित स्रोतों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और दिनांक 13 नवम्बर, 1997 की अधिसूचना के बावजूद जिसकी पुष्टि अधिनियम के तहत गठित तत्कालीन प्राधिकरण ने दिनांक 6 मई, 1998 के आदेश द्वारा की थी, मैतई आतंकवादी संगठनों के सशस्त्र दलों तथा सदस्यों द्वारा सुरक्षा बलों पर लगातार और बार-बार हिंसा और आक्रमण किया गया है । मैतई आतंकवादी संगठनों के बल में बढ़ोतरी हुई है । निधियां इकट्ठी करना और लूट-खसोट करना जारी रहा है, आधुनिक शस्त्र और हथियारों का अधिग्रहण जारी रहा है तथा कुछ पड़ोसी देशों में उनके शिविर हैं जो शरण स्थल बने हुए हैं और जहां प्रशिक्षण दिया जाता है तथा गुप्त रूप से शस्त्र एवं गोला बारूद प्राप्त किया जाता है । अतः केन्द्र सरकार के लिए पर्याप्त कारण था और केन्द्र सरकार ने दिनांक 13 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना द्वारा मैतई आतंकवादी संगठन को सही तौर पर विधि विरुद्ध संगम घोषित किया है ।

अतः दिनांक 13 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1089(ई) की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है ।

ह०/-
(आर० एच० जैदी)
विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण
[सं० 8/16/99-एन. ई. I]
जी० के० पिल्ले, संयुक्त सचिव

11 मई, 2000
वी0के0पी0

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(N.E. Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2000

S.O. 522(E).—The following is published for general information :—

The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

Headed by the Hon'ble Mr. Justice R.H. Zaidi,

A sitting Judge of the Allahabad High Court

In the matter of

Declaration of the Meitei extremist organisations of Manipur, namely,

(1) Peoples Liberation Army (PLA) and its political wing, the Revolutionary Peoples Front (RPF);

(2) United National Liberation Front of Manipur (UNLF);

(3) Peoples Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the 'Red Army';

(4) Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the 'Red Army';

(5) Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL); and

(6) Manipur People's Liberation Front (MPLF);

and all their functional wings and front organisations as "unlawful associations" under Section 3(1) of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

ORDER

By a notification of the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, published on 13 November, 1999, in the Gazette of India (Extraordinary), the Central Government, in exercise of its power under sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (Act No. 37/67) (for short, hereinafter referred to as "the Act") and the rules, known as The Unlawful Activities (Prevention) Rules, 1968 framed under the Act, (for short, hereinafter referred to a :—"the Rules") declared abovenamed extremist organisations of Manipur as unlawful associations. The said notification is quoted below :—

"MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 1999

S.O. 1089 (E).—Whereas the People's Liberation Army, generally known as the PLA, and its political wing the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its amred wing the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army", Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur People's Liberation Front (MPLF) (hereinafter collectively referred to as the Meitei Extremist Organisations) have :

(i) openly declared as their objective the formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India;

(ii) been employing and engaging in armed means to achieve their aforesaid objective;

(iii) been attacking the Security Forces, the Police, Government employees and lawabiding citizens in Manipur;

(iv) been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organisations; and

(v) been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

2. And, whereas, the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Meitei Extremist Organisations and other bodies set up by them, including the armed groups named above, are unlawful associations.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Meitei Extremist Organisations, namely the People's Liberation Army, generally known as the PLA, and its political wing the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed

wing the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army", Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur People's Liberation Front (MPLF) to be unlawful associations.

4. And, whereas :—

(i) there have been repeated continuing and ongoing acts of violence and attacks by (Armed groups and members of the Meitei Extremist Organisations) on the Security Forces and the civilian population;

(ii) there has been an increase in the strength of the Meitei Extremist Organisations;

(iii) there has been continued collection of funds/extortions and acquisition of sophisticated weapons;

(iv) camps in some neighbouring countries continues to be maintained for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunition.

5. And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the Meitei Extremist Organisations are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled the said Meitei Extremist Organisations would regroup and rearm themselves, expand their cadres, procure sophisticated weapons, cause heavy loss of lives of civilians and Security Forces, and accelerate their activities aimed at secession of Manipur from India.

6. Now, therefore, having regard to the circumstances referred in paragraph 4 and 5, the Central Government is of the opinion that it is necessary to declare the Meitei Extremist Organisations, namely, the People's Liberation Army, generally known as the PLA, and its political wing the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army", Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur People's Liberation Front (MPLF), as unlawful associations with immediate effect; and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of the said section (3), the Central Government hereby directs that the Notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of publication in the Official Gazette.

[File No. 8/16/99-NE-I]
Sd/-
G. K. PILLAI
Joint Secretary"

Aforesaid notification, in addition to its publication in the official Gazette, was published in accordance with sub-section (4) of Section 3 of the Act read with Rule 4 of the Rules within the time prescribed.

Thereafter the Central Government issued a notification dated 18 December 1999 under sub-section (1) of Section 5 of the Act constituting this Tribunal for adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the Meitei extremist organisations of Manipur as '[unlawful associations'' within the meaning of the term used under the Act. The said notification reads as under:—

"MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 1999

S.O. 1222 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of he Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes ''The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal'' consisting of Shri Justice R.H. Zaidi, Judge of the Allahabad High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Meitei extremist organisations of Manipur, as unlawful associations.

[File No. 8/16/99-NE-I]
Sd/-
G. K. PILLAI
Joint Secretary"

After constitution of this Tribunal reference was made to it as provided under Rule 5 of the Rules by the Central Government. On receipt of necessary documents a sitting of the Tribunal was held at U.P. Sadan, New Delhi on 15-1-2000 in which after perusing the record and hearing those present, following order was passed :—

"Heard Mr. Gopal K. Pillai, Joint Seceretary North East, Ministry of Home Affairs, New Delhi and also perused the record.

1506 · 919 - -4

From the material on record, it is evident that the notification issued under Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for short the Act was published and served in accordance with the provisions of sub-section (4) of Section 3 of the Act, read with Rule 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Rules, 1968 for short the rules.

Issue notice (under Registered Cover) to :

(1) Peoples Liberation Army (PLA) and its political wing, the Revolutionary Peoples Front (RPF);

(2) United National Liberation Front of Manipur (UNLF);

(3) Peoples Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the 'Red Army';

(4) Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the 'Red Army';

(5) Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL); and

(6) Manipur People's Liberation Front (MPLF);

to show cause within 30 days from the date of service of the notice as to why aforesaid associations be not declared as unlawful by appearing personally or through their counsel. Notices meant for the aforesaid associations shall be served in the manner prescribed under Rule 6 of the Rules.

After notices are served in the manner as indicated above, affidavit of service shall be filed on behalf of Union of India annexing therewith documentary evidence regarding service within a periof of three weeks.

List/put up on 12-3-2000 at 10.30 AM in the meeting hall of U.P. Sadan, Chanakyapuri, New Delhi.

Dated : January 15, 2000

Sd/-
(R.H. ZAIDI)
15-1-2000"

On the same date, at the service of the aforesaid notification upon the organisations/associations in question was held sufficient, the following order was passed :—

"Affidavit filed on behalf of Union of India of Sri Ajai Srivastava, Dy. Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs be taken on record.

Heard Mr. Gopal K. Pillai, Joint Secretary North East, Ministry of Home Affairs, New Delhi and also perused the record and affidavit filed by Mr. Ajai Srivastava, Dy. Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi. In the affidavit it has been stated that the notification issued in exercise of power under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 on 13-11-99 was served upon the associations/ organisations in question by publication in Thoudang, a local newspaper on 19-12-99; announcement was made over the radio from the local station of All India Radio; and was also pasted on the notice boards of the offices of all District Magistrates in the State of Manipur in accordance with the provisions of sub-section (4) of Section 3 of the Act read with Rule 4 of the rules framed under the Act. Service of the aforesaid notification upon the organisations/ associations in question is thus held sufficient."

On 15-1-2000 it was also directed that after service of the notices, affidavit of service shall be filed on behalf of the Union of India within a period of three weeks, i.e., upto 11-2-2000, annexing therewith documentary evidence regarding service. The case was thereafter directed to be taken up on 12-3-2000 at 10.30 a.m. at U.P. Sadan, Chanakyapuri, New Delhi. It was on 11-2-2000 that in compliance of the order, referred to above, affidavit of service on behalf of the Union of India of Ajai Srivastava, Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, was filed, which was taken on record. On 12-3-2000 after examining the material on record, the following order was passed :—

12-3-2000 Hon. R.H. Zaidi, J.

New Delhi

Case called out. None appeared on behalf of Meitei extremist organisations of Manipur. However, learned counsel for the Union of India and of the State of Manipur are present.

On 15-01-2000, notices were issued to Meitei extremist organisation and the opposite parties were asked to show cause as to why they be not declared unlawful. Learned counsel for the Union of India and the State were also required to file affidavit of service of notices. On 11-02-2000, affidavit of service was filed.

From perusal of the affidavit of Shri Ajai Srivastava, it is apparent that in compliance with the order passed by this Tribunal, the notices meant for opposite parties were served in accordance with law. The service of notices on the organisation in question is, therefore, held sufficient.

Affidavit filed by Mr. K. Nobin Singh, counsel for the State of Manipur, on behalf of the State, be taken on record. Affidavit of Shri Ajai Srivastava, filed on behalf of the Union of India, be also taken on record.

Learned counsel for the Union of India as well as Mr. K. Nobin Singh, Advocate pray for and are granted two weeks time to file affidavits supported by documentary evidence on the basis of which notification under Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was issued. ON the next date fixed, they will also produce documentary evidence in support of the notification dated 13-11-99 alongwith the affidavits.

Meitei extremist organisations of Manipur may also produce evidence (documentary) on the next date fixed.

After two weeks, list/put up on 27th March, 2000 at High Court, Allahabad in the Chamber of Hon'ble Mr. Justice R. H. Zaidi at 10.00 a.m."

On 27-3-2000 in the sitting at the Allahabad High Court Allahabad, the following order was passed :—

"March 27, 2000

Hon'ble R. H. Zaidi, J.

When the case was taken up learned counsel for the Union of India and the State of Manipur appeared on behalf of the respective Governments. Mr. S. Dinokumar Singh, Special Secretary (Home), Government of Manipur, Mr. M. Kamajit, Superintendent of Police, C.I.D. (S.B.), and Mr. H. Iboncha Meitei, S. I., C.I.D.(S.B.) also appeared in person. None appeared for the respondents. Meitei Extremist Organisations, inspite of due service of notice on them.

Affidavit of S. Dinokumar Singh, Special Secretary (Home), Government of Manipur, be taken on record.

From the material on record, prima facie case to proceed further is made out. Documents filed along with the affidavit which formed part of the record, are required to be proved by producing the complainants/persons who had lodged the first information reports and from whose possession the documents have been obtained.

Let the case be listed/put up at 10.00 A.M. on 29th and 30th of April, 2000 at the State Guest House, Imphal for hearing.

Notice of the said date for producing of evidence/hearing be given in accordance with law, to all concerned at least 15 days before the date fixed. The Governments, Central/State, shall ensure compliance of this order and will shall make necessary security arrangements and arrangements for stay and holding of the Courts at the above noted place."

The sitting of the Tribunal at the State Guest House, Imphal, was convened with a view to avoid any technical objection regarding sufficiency of opportunity of hearing on the basis of distance of the place of sitting from Manipur. On the date fixed, i.e., on 29th and 30th of April, 2000, the sitting was attended mostly by the government officials, Central and State, and their learned counsel. In the said sitting on an application made by learned counsel for the Central Government, as many as 18 witnesses were permitted to be examined on oath. It may be noted that on behalf of the Government, Central and State, evidence in the form of affidavits was also permitted to be produced, which was filed. After conclusion of the evidence, arguments of learned counsel appearing on behalf of the Governments, Central and State, were heard and the judgment/order was reserved. Learned counsel for the Union of India was also permitted to file written arguments, if any, before 7 May 2000.

It was urged by learned cousel for the Central Government that from the evidence, oral documentary, on the record, which remained uncontroverted and unrebutted as inspite of due service of notice issued by the Tribunal none appeared on behalf of the Meitei extremist organisations before the Tribunal, it was conclusively proved that the Meitei extremist organisations, referred to above, were unlawful associations within the meaning of the term used under the Act. Therefore, the notification dated 13th November 1999 issued by the Central Government was liable to be confirmed.

I have considered the submissions of learned counsel for the Central Government and thoroughly perused the material on record.

Alongwith the papers submitted by the Central Government, a resume was also submitted narrating the facts and grounds on which issuance of the notification dated 13 November 1999 was justified. In the said resume, it was stated that earlier, on 26 October 1979, similar notification, as in question, was issued by the Central Government under sub-section (1) of Section 3 of the Act in which 4 Meitei extremist organisations, namely, PLA. UNLF. PREPAK and KCP which were indulging in unlawful acts of violence, including murders, lootings, intimidation, etc. mostly in the valley areas of Manipur State, in furtherance of their objective of liberation of Manipur, were declared as unlawful associations. Thereafter, again a notification was issued on 26 October 1995 whereby, in addition to aforesaid 4 extremist organisations, KYKL was also declared as unlawful association. On expiry of statutory period notification dated 26th October 1995 automatically lapsed. Since there was no improvement in the civil life and unlawful acts of violence and unlawful activities continued unabated in the State of Manipur, therefore, the Central Government was obliged to issue another notification under sub-section (1) of Section 3 of the Act on 13th November 1997, the validity of whcih was confirmed by the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal by its judgment and order dated May 6, 1998. Inspite of the said notification, it is stated that the said organisation continued to resort to massive mobilisation of funds by unlawful tax collections, extortion and even kidnapping/abduction for ransom. Procurement of arms by Meitei extremist organisations has also been continuing. In Addition :

(i) The Meitei extremist organisations have openly declared as their objective the formation of an independent Manipur by secession from the Union of India;

(ii) They have been employing armed means to achieve their aforesaid objective;

(iii) They have been attacking the Security Forces, the police, Government employees and law-abiding citizens in Manipur;

(iv) They have been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organisations; and

(v) They have been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

It was, under the aforesaid facts and circumstances, that proposals for a fresh notification declaring the Meitei extremist organisations, named above, as unlawful associations under the Act was made. In the said resume, reasons for giving effect to the notification from the date of its publication in the official gazette were also disclosed. The Central Government after considering the proposals and the reasons for the same, accepted the proposals and issued the notification in question, dated 13 November 1999.

Notification in question the validity of which is to be seen by this Tribunal, has been issued under sub-section (1) of Section 3 of the Act which reads as under :—

> **"3. Declaration of an association as unlawful.**—(1) If the Central Government is of opinion that any association is, or has become, an unlawful association, it may, by notification in the Official Gazette, declare such association to be unlawful."

The terms "association" and "unlawful association" have been defined under clauses (a) and (g) of Section 2 of the Act as under :—

> **"2. Definitions.**—In this Act, unless the contest otherwise requires,—
>
> (a) "association" means any combination or body of individuals;
>
> (g) "unlawful association" means any association—

(i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity; or

(ii) which has for its object any activity which is punishable under Section 153-A or Section 153-B of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), or which encourages or aids persons to undertake any such activity, or of which the members undertake any such activity;

Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu and Kashmir.''

The term ''unlawful activity'' has been defined under clause (f) of Section 2 of the Act as under:—

"2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

....

(f) ''unlawful activity'', in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise,—

(i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession;

(ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India;''

The terms ''cession of a part of the territory of India'' and ''secession of a part of the territory of India from the Union'' have been defined under clauses (b) and (d) of Section 2 of the Act as under:—

"2. Definition.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

....

(b) ''cession of a part of the territory of India'' includes admission of the claim of any foreign country to any such part;

....

(c) ''secession of a part of the territory of India from the union'' includes the assertion of any claim to determine whether such part will remain a part of the territory of India;''

Thus, I will have to examine the material on record to answer the question as to whether the aforesaid associations were unlawful associations within the meaning of the term used under the Act and the Rules framed thereunder.

To prove the aforesaid facts and to justify the issuance of the notification dated 13 November 1999 following witnesses were examined on oath and following affidavits annexing therewith following documents were filed. Besides said documents, some other documents were also filed which have been marked as Ex. 1 to 19.

List of witnesses :

1. Mr. Karnajit Singh, S/o late M. Deba Singh, S. P., C.I.D., (Special Branch, Manipur);
2. Sub Inspector Y. Melababu Singh S/o late Y. Pampakchao Singh, resident of Khurai Chingangbam Leirak, presently posted as Investigating Officer at Lamsang P.S.;
3. Inspector Mohd. Husnejaman S/o late Haji Abdul Jabar, resident of Moijing village presently posted as Officer in charge of Lamlai P.S.;
4. Inspector L. Ishwar Lal Sharma S/o L. Harimohan Sharma presently posted as Officer in charge Bishenpur P.S.;
5. Sri N. Ibohal Singh S/o late N. Romoni Singh, Sub-Divisional Police Officer, Moirang under Bishenpur district;
6. S.I. S. Monindro Singh S/o S. Ibochaoba Singh, Presently posted as I.O. of Patsoi PS under Imphal west

7 Inspector L. Beerbabu Singh S/o L. Yaima Tombi Singh presently posted as Officer in charge of Moirang PS of Bishenpur district;

8. Inspector Th Ram Gopal Singh S/o Th. Yaima Singh presently posted as Officer in charge of Lamphel PS under Imphal west district;

9 Inspector I. Dijen Singh S/o late I. Chaoba Singh, R/o Narankonjin, Imphal west district;

10. S.I. Md.. Bani Amin S/o late Mohd. Saheruddin presently posted as IO of Heingang PS under Imphal East District;

11. SI H. Rameshwar Sharma S/o H. Nimaichand Sharma presently posted as Officer in charge of Chandel PS under Chandel district;

12 SI. W Anand Kumar Singh S/o late Ibochouba Singh presently posted as IO Imphal P.S. under Imphal west district;

13. Sri L. Ibopishak Singh S/o late L Chandra Singh presently posted as Sub Divisional Police Officer, Imphal under Imphal west district;

14 Th. Krishna Tombi Singh S/o Th. Birbi Singh presently posted as Sub Inspector in Commando Unit of Imphal west district;

15 Yumnam Ibotombi Singh, S/o Y. Yaima Singh of Kwakeithel Heinoukhongnembi Village, P.S. Singjamei, District. Imphal West, Manipur;

16 Irengbam Iboyaima Singh, (53 years), S/o (L) I Gunamani Singh of Nambol Phoijing, under Nambol P.S., District Bishenpur, Manipur,

17. Shri S. Dino Kumar Singh, Special Secretary, Ministry of Home, Government of Manipur, Imphal; and

18 Mr. Ramphal, Under Secretary, Government of India, Ministry of Home Affairs, North East Division, New Delhi.

Affidavits annexing documents therewith:

A Affidavit of Mr. S. Dinokumar Singh, Spl. Secretary (Home), Manipur;

Documents annexed are.

Annexure—A:

List of FIR cases registered against the six Meitei Extremist organisations for the period from 13-11-97 to 18-2-2000 alongwith brief of some cases involving six Meitei Extremist organisations, with following chart:

NO. OF FIR CASES REGISTERED AGAINST EACH ORGANISATION

DURING THE PERIOD FROM 13-11-1997 TO 18-2-2000

Sl No.	Name of orgn	1997	1998	1999	2000	Total
1	PLA/RPF	39	218	225	18	500
2.	UNLF	12	116	146	8	282
3	PREPAK	4	63	63	4	134
4	KYKL	7	35	63	2	107
5	KCP	11	72	64	9	156
6	MPLF	X	X	1	X	1
	Grand Total	73	504	562	41	1180

Annexure—B:

Copies of Cash receipt, Press release calling to boycott India's Independence day, Non_Immigrant residential Permit issued by the RPF/PLA, Annual Statement of the control Committee of the UNLF & Demand letters issued by the KCP.

Annexure—C

News paper clippings reflecting the activities of the six Meitei Extremist organisations.

B Affidavit of Shri Ajai Srivastava S/o Sri N. Lal, R/o A-84, Pandara Road, New Delhi;

Documents annexed are.

A	Statement showing the profiles of United Liberation Front of Manipur, Peoples Liberation Army, Peoples Revolutionary Party of Kangleipak, and Kanglei Yaol Kanba Lup	10—17
B	List of some major violent activities of the meitei extremist organisations during 1999	18—24
C	List showing recovery of illegal arms and ammunition, explosives, RDX etc from Meitei extremist organisations during 1999	25—34
D	Statement issued by the UNLF, which, inter-alia mentions its aims and objectives.	35—42
E	Statement issued by the RPF detailing its demand for sovereignty	43—70
F	Extortion Notice issued by the KCP, detailing its aims and objectives	71
G	Extortion Notice issued by the PREPAK, detailing its aims and objectives	72
H	Extortion Notice issued by the KYKL, detailing its aims and objectives	73—75
I	Joint statement by some North Eastern Militant outfits, including the PREPAK and UNLF, along with its English translation, advocating secession from the country	76—84
J	Details of some cases registered against the Meitei extremist organisations, including copies of FIR's, list of seizures made etc.	85—448

C. Affidavit of Mr S. Dinokumar Singh, Spl. Secretary (Home), Government of Manipur, Imphal:

Documents annexed are:

Annexure-D:

Copies of relevant documents in respect of selected 36 FIR cases registered against the six Meitei Extremist organisations.

Other documents filed and marked exhibits:

Exhibit No.	Details of documents
1	Notice dated 17-1-2000 of the Registrar of the Tribunal published in the newspaper "The Imphal Free Press" dated Thursday 3-2-2000
2	Notice dated 17-1-2000 of the Registrar of the Tribunal published in the newspaper "The Sangai Express" dated Wednesday 2-2-2000
3	Letter dated 4-2-2000 of Sri S Mangi Singh, Asstt. News Editor, AIR Imphal regarding broadcast of notice on 3-2-2000
4	WT message dated 4-2-2000 regarding publication of notice
5	WT message dated 4-2-2000 regarding publication of notice

Exhibit No.	Details of document
	notice
6.	Notice dated 17-1-2000 of Registrar of the Tribunal published in the Manipur Gazette, Extraordinary, dated Thursday, 3-2-2000
7.	Joint Declaration of PREPAK, RPF & UNLF dated 1-3-1999.
8.	Publication of notice dated 7-4-2000 regarding sitting of the Tribunal at State Guest House, Imphal in the Newspaper "Yakairol" dated Sunday 9-4-2000.
8-A	Publication of notice dated 7-4-2000 regarding sitting of the Tribunal at State Guest House, Imphal in the Newspaper "The Imphal Free Press" dated Saturday 8-4-2000.
9	FIR No. 99(12)97 u/s 121/121-A. IPC, 25(1-B) Arms Act and 13 UA(P) Act of PS Bishenpur.
10.	Demand letter of PREPAK, Department of Finance, addressed to the Director, Central Institute of Plastic (Takyelpat).
11.	FIR No. 11(5)98 u/s 121/121-A, IPC, 25(1-B) Arms Act and 13 UA(P) Act of PS Moirang.
12.	Signature of Sri Kesho Singh S.I.
13.	FIR No. 11(5)98 u/s 120-B/302/364/397/326, IPC, 25(1-B) Arms Act and 13 UA(P) Act of PS Lamlai
14.	Document showing K. Binoy was killed by KCP
15.	FIR No. 4(3)99 u/s 121/121-A/307/302, IPC, 25(1-B) Arms Act and 13 UA(P) Act of PS Chandel
16.	Affidavit of Mr. S. Dinokumar Singh, Spl. Secretary (Home), Government of Manipur, Imphal
17.	Affidavit of Mr. S. Dinokumar Singh, Spl. Secretary (Home), Government of Manipur, Imphal
18.	Affidavit of Shri Ajai Srivastava S/o Sri N. Lal, R/o A-84, Pandara Road, New Delhi.
19.	Affidavit of Shri Ajai Srivastava S/o Sri N. Lal, R/o A-84, Pandara Road, New Delhi.

Documents contained in Exhibits no. 1 to 8-A were proved by P.W. 1 Mr. Karnajit Singh, S.P , C.I D. (Special Branch), Imphal; Ex. 9 by P.W. 4 L. Ishwar Lal Sharma, Inspector; Ex. 11 and 12 by P.W. 5 M. Ibohal Singh, Sub-Divisional Police Officer; Ex. 13 and 14 by P.W. 9 I. Dijen Singh, Inspector, Ex. 15 by P.W. 11 H Rameshwar Sharma, Sub Inspector; Ex. 16 and 17 by P.W. 17 Sri S. Dino Kumar Singh, Special Secretary (Home), Government of Manipur, Imphal and Ex. 18 and 19 by P.W. 18 Mr. Ramphal, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, North East Division, New Delhi.

As none appeared for the organisations/associations in question nor any evidence, oral or documentary, was produced before the Tribunal, the evidence, oral and documentary, produced by the Governments, Central and State, thus, remained unrebutted and unchallenged. Therefore, I do not consider it necessary to quote the statements of the witnesses in this order.

I have throughly gone through the statements of the witnesses and I find that P W. 1, 2, 5, 7, 9, 11,15 and 16 have stated that these organisations/associations have openly declared as their objective of formation of an independent Manipur by secession of Manipur from India; P.W. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 and 16 have further stated that these organisations/associations have been employing and engaging in armed means to achieve their objective; P.W. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15 and 16 have also stated that these organisations/associations have been attacking security forces, police, government employees and law abiding citizen of Manipur, P.W. 1, 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 have further stated that these organisations/associations have been indulging in acts of intimidation, extortion and looking of civilian population for collection of funds for their organisations; and P.W. 15 has further stated that these organisations/associations have been making efforts to establish contracts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

Aforesaid witnesses except P.W.15 and P.W. 16 are government officials. P.W. 15 and P.W. 16 are public witnesses who have fully supported the case against the extremist organisations/associations in question. Public witnesses for fear of reprisal by these associations are reluctant to appear against them. However, the aforesaid two wit nesses could gather courage to appear before the Tribunal in support of the case against these organisations/associations in question. The spirit and courage shown by these witnesses in appearing before the Tribunal in person was commendable and apppreciated.

From the documentary evidence contained in Ex. 1 to 19, particularly Ex. 7, a Joint Declaration dated 1 March, 1999 by the Manipur Peoples, Liberation Front (MPLF), it is true that the organizations in question were unlawful associations within the meaning of the terms used under the Act. A joint declaration dated 1 March, 1999 reads as under:—

"PEOPLE'S REVOLUTIONARY PARTY OF
KANGLEPAK
REVOLUTIONARY PEOPLE'S FRONT
UNITED NATIONAL LIBERATION FRONT
JOINT DECLARATION
01 MARCH 1999

In pursuance of the effort for unity reflected in the joint yearly campaigns in the last few years, several rounds of meeting of the representatives of the three Parties at the highest level were held from 20 February to 01 March, 1999. The meeting reviewed the past, the present and the future prospects of the national liberation struggle of our Manipur and the Region as well Many problems, which the three Parties could not understand together before, were discussed openly and frankly and understood together. Especially, the three Parties discussed threadbare the slow pace of progress of our liberation struggle because of lack of unity among the revolutionary parties and the consequent confusion among the people. Thus, as a result of the ten-day long deliberations, the three fraternal Parties have achieved the utltimate goal of unity.

We, the undersigned representatives of the three Parties, have the privilege to make this declaration highlighting the basis points of the agreement reached among the three Parties.

1. The three Parties have agreed, in principle, to merge together into a new unified entity. The unification into a single Party will be achieved in step-by-step approach
2. As a first step towards unification, a permanent body having two representatives each from the leading organs of the respective parties has been formed to formulate common polices and programmes of the three Parties. The permanent body has been named as MANIPUR PEOPLE'S LIBERATION FRONT-MPLF in abbreviation.
3 An EXECUTIVE COMMITTEE has been formed to execute the decisions of the MPLF.
4. Henceforth, all works relating to financial matters of the three Parties shall be integrated. To formulate the integrated financial policies and programmes, a FINANCIAL AFFAIRS COMMITTEE has been formed.

These policies and programmes shall be implemented by a FINANCE SUB-COMMITTEE. In short, from now on the three Parties shall not raise separate funds. Now we will raise our funds collectively and utilise in it collectively for the liberation struggle.

Thus, we sincerely believe that out three Parties have fulfilled a longstanding desire of our people to see unity among the revolutionary organisations of Manipur.. In fact, it is this moving spirit of our people for unity that provided the inspiration and conviction for unity among our revolutionary Parties.

Along with the achievement of unity, we cannot but address the problem of taking ransom from our own people as a means to raise fund thereby tarnishing the image of our liberation struggle. We hereby appeal to other organisations to refrain henceforth from using this method of fund-raising. On the other hand, we strongly feel that it is now time on the part of our people to take a firm stand in rectifying such wrong methods.

Dear Compatriots! Now, we firmly believe that with the realisation of unity our national liberation struggle shall make significant progress under the united leadership. Out three Parties have firmly resolved to remove the wrong ideology of factions and fratricidal conflicts. This is a stand, and also a vow, which our three Parties shall uphold together through to the end.

We therefore, appeal to the entire people of Manipur for their valued support and blessing for the new unity so that our national liberation struggle can march ahead with the strength of our people.

"Unity is Strenght, Unity is Courage"
"Victory to MPLF!"
"Victory to Our People!"

"People's Revolutionary	Revolutionary People's	United national
party of Kangleipak	Front	Liberation Front
Sd/- Illegible	Sd/- Illegible	Sd/- Illegible
Achemba	Irengbam Chaoren	Sana Yaima
Chairman	President	Chairmn

Signed on 01 march 1999"

From the statements on oath of P.W.1 to P.W. 18 and from the documents filed alongwith the affidavits, noted above, it is conclusively proved that the extremist organisations noted above were unlawful associations as they have openly declared as their objective the formation of an independent Mainpur by secession of Manipur from India; have been employing and encouraging in armed means to achieve their objective; have been attacking the security forces, the police, government employees and low-abiding citizens in Manipur; have been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organisations, and have been making efforts to

establish contracts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective and inspite of the notification dated 13th November, 1997 which was confirmed by the then Tribunal constituted under the Act by order dated 6th May 1998, there have been repeated and continuing acts of violence and attack by armed groups and members of the Meitei extremist organisations on the security forces, the police, and the civilian population. There has been increase in the strength of the Meitei extremist organisations, continued collection of funds and extortion, acquisition of sophisticated arms and weapons and they have got camps in some neighbouring countries, which are being maintained for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunitions. Thus, there was sufficient cause for the Central Government and the Central Government rightly declared the Meitei extremist organisations as unlawful associations by notification dated 13th November 1999.

Thus, the notification no. S.O. 1089(E) dated New Delhi, the 13th November 1999 is, therefore, hereby confirmed.

May 11, 2000

(R.H. Zaidi)
The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

V.K.P.

[No. 8/16/99-NE. I]
G.K. PILLAI, Jt. Secy.

Pr by vt. of Pr Road, Mayapuri, New Delhi-110064